



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2019/श्रावण 16, 1941

No. 143]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2019/SHRAVANA 16, 1941

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2019

आ.अ.156 (अ).— यतः, उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित श्री नीरज शेखर का स्थान जिनकी पदावधि 25.11.2020 सहित उस तारीख तक थी के समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देने के कारण 15.07.2019 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 147 धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

(अ) उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 28 अगस्त, 2019 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्विनिर्देशन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में -

- | | |
|---|-------------------------------|
| (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख | — 14 अगस्त, 2019 (बुधवार); |
| (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख | — 16 अगस्त, 2019 (शुक्रवार); |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख | — 19 अगस्त, 2019 (सोमवार); |
| (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा | — 26 अगस्त, 2019 (सोमवार); और |

(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा – 28 अगस्त, 2019 (बुधवार);

नियत करता है;

और

(इ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

[सं.100/रा.स.-उ.प्र./9/2019(1)]

आदेश से,

वरिन्दर कुमार, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2019

O. N. 156(E).— WHEREAS, the seat of Shri Neeraj Shekhar in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh, has become vacant on 15.07.2019 by the reason of his resignation before the expiration of his term of office which was up to and including 25.11.2020; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) calls upon the elected members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh to elect, before 28th August, 2019, and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;

(B) appoints, with respect to the said election;

- (a) the 14th August, 2019 (Wednesday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 16th August, 2019 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
 - (c) the 19th August, 2019 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 26th August, 2019 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 28th August, 2019 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;
- and

(C) fixes the hours from 9:00 a.m. to 4:00 p.m., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[No. 100/CS-UP/9/2019(1)]

By Order,

VARINDER KUMAR, Principal Secy.